न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी – हरिसिंह लम्बोरा आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या : 05/2017 सन् 2017

वादी

लाल मोहम्मद पुत्र कालू खां
जाति मुसलमान तेली निवासी ग्राम
खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा

बनाम

प्रतिवादी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
बिलाड़ा जिला जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा (जोधपुर)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से स्वयं लाल मोहम्मद उपस्थित।
2. अप्रार्थी सरकार की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांक 12–06–2017

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत होने पर मिसल को ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। मामले का संक्षिप्त विवरण विश्लेषण एवं निष्कर्ष इस प्रकार हैः– ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1638 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा भूमि जो कि ग्राम खारिया मीठापुर जमाबन्दी सम्वत् 2048 से 2051 तक के खाता संख्या 52 स्थित है। जिसमें प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की आई हुई है जिसमें प्रार्थी का नाम लाल खां पुत्र श्री कालु खां दर्ज है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में आगे जाहिर किया कि ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में भूमि खसरा नम्बर 1638 रकबा 8 बीघा 18 बिझपर भूमि जो कि ग्राम खारिया मीठापुर जमाबंदी सम्वत् 2052 से 2055 तक के खाता संख्या 701 स्थित है जिसमें प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि आई हुई है जिसमें प्रार्थी का नाम लाल खां पुत्र कालु खां दर्ज है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में आगे जाहिर किया कि ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में भूमि खसरा नम्बर 1638 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा जो कि ग्राम खारिया मीठापुर की जमाबंदी सम्वत् 2068 से 2071 तक के खाता संख्या न्या 830 पुराना 601 है जिसमें प्रार्थी के स्वयं के नाम से राजस्व रेकर्डस में दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम लाल खां पुत्र श्री कालू खां दर्ज है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में आगे जाहिर किया कि प्रार्थी ने अपने नाम से यूको बैंक शाखा खारिया मीठापुर से ऋण लिया जिसमें प्राथी का नाम जमाबंदी अनुसार लाल खां पुत्र श्री कालु खां कौम तेली के नाम से आवेदन किया हुआ है तथा प्रार्थी ने अपने आवेदन ऋण हेतु फाईल तैयार करते समय अपना आधार कार्ड, फोटो परिचय पत्र एवं परिवार कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम लाल मोहम्मद पुत्र कालु खां के नाम से है। इस कारण प्रार्थी के नाम राजस्व रैकर्डस में सही संशोधन कराने हेतु का यह रैकर्ड दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में आगे जाहिर किया कि प्रार्थी का स्वयं का पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि बने हुवे है जिसमें प्रार्थी का नाम लाल मोहम्मद पुत्र श्री कालु खां स्पष्ट दर्ज है। इसी प्रकार प्रार्थी के नाम की खातेदारी कृषि भूमि जो कि ग्राम खारिया मीठापुर की राजस्व सीमा में स्थित है जिसके खसरा नम्बर 1638 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा भूमि में प्रार्थी का नाम लाल खां पुत्र कालु खां स्पष्ट दर्ज है अतएव प्रार्थी अपना नाम उपरोक्त खातेदारी कृषि भूमि में लाल खां पुत्र श्री कालु खां दर्ज के स्थान पर लाल मोहम्मद पुत्र कालुखां सही दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में आगे जाहिर किया कि प्रार्थी की उपरोक्त भूमि पुश्तैनी खातेदारी की है जिसमें प्रार्थी के पिताजी कालुखां के स्वर्गवास के बाद उनके जायज वारीसान एवं उत्तराधिकारी का जरिये फोतेदगी नामान्तरकरण राजस्व रैकर्डस में इन्द्राज करते समय प्रार्थी का नाम लाल खां पुत्र श्री कालु खां दर्ज हल्का पटवारी द्वारा किया गया है। प्रार्थी का नाम लाल खां पुत्र कालु खां का नाम राजस्व रैकर्डस में दर्ज करने से कोई भी किसी भी प्रकार का दस्तावेजों की जांच नहीं की गयी है अतः सारी कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में आगे जाहिर किया कि पटवारी को किसी खातेदार का जमाबंदी में नाम गलत दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः बिना अधिकार के किया गया है राजस्व रैकर्ड में दर्ज नाम निरस्त किये जाने योग्य है। अतः हल्का पटवारी द्वारा बिना दस्तावेजों का अवलोकन किये ही बिना कोई आधार के अनाधिकृत तौर से किये गये नाम को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में आगे जाहिर किया कि अन्य आधार बहस के समय निवेदन किये जावेगें। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अन्त में जाहिर किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 1638

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा भूमि जमाबंदी सम्वत् 2068 से 2071 तक की नाम दुरूस्ती की जाकर प्रार्थी का नाम लालखां की जगह लाल मोहम्मद राजस्व रैकर्डस में दर्ज करने का आदेश जारी करावे।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर अप्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा को नोटिस जारी किया गया। तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा आज दिनांक 12.06.2017 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अप्रार्थी ने अपने जवाब में जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 से 4 तक को सही होना स्वीकार किया। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 5 को इस न्यायालय से सम्बन्धित होना बताया तथा प्रार्थना पत्र के पद संख्या 6 के जवाब में जाहिर किया कि नामान्तरकरण संख्या 1571 दिनांक 23.05.2017 के द्वारा लाल खां पुत्र कालु खां का नाम राजस्व रैकर्ड में दर्ज होना एवं प्रार्थना पत्र के पद संख्या 7 व 8 को इस न्यायालय से सम्बन्धित होना बताया।

आज दिनांक 12.06.2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर खारिया मीठापुर में प्रार्थी स्वयं एवं अप्रार्थी सरकारी पैरोकार स्वयं उपस्थित की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए अपना नाम लाल खां के स्थान पर लाल मोहम्मद दर्ज करवाने का निवेदन किया। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थी का नाम राजस्व प्रार्थी के नाम से बने दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र व राशन कार्ड के अनुसार रिकार्ड में सही होने से सरकार का कोई अहित नहीं होना जाहिर किया।

अतः प्रार्थी लाल मोहम्मद पुत्र कालुखां जाति मुसलमान तेली निवासी खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार कर मौजा खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 1638 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा भूमि जमाबन्दी 2068 से 2071 तक के खाता संख्या 830 में उल्लेखित खातेदार लाल खां पुत्र कालूखां कौम तेती सा. देह खातेदार रहन यू.को. बैंक शाखा खा.मी. नामा.सं. 2123,2627, 3059, 3279, 3671 के स्थान पर लाल मोहम्मद पुत्र कालूखां कौम तेती सा. देह खातेदार रहन यू.को. बैंक शाखा खा.मी. नामा.सं. 2123,2627, 3059, 3279, 3671 दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बिलाड़ा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें। तहसीलदार बिलाड़ा को पालना हेतु इस निर्णय की प्रति के साथ लिखा जावे।

पत्रावली फैसल शुमार एवं नम्बर से कम होकर बाद तामिल दाखिल दफ्तर हो।

(हरिसिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 12–06–2017 को मेरे निर्देशन में कम्पयूटर से टंकित करवाया जाकर सरे इजलाश सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा (जोधपुर)
सत्यमेव जयते